अतिआवश्यक

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–5)

क्र. एफ 27(59)ग्राविवि/ग्रुप–5/आईएवाई/जीओआई/आवाससाफ्ट/2015–16 जयपुर, दिनांक 6 जून, 2016

जिला कलक्टर,
समस्त, राजस्थान।

विषय :– प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण की वरीयता सूची निर्धारण के क्रम में।
प्रसंग :– विभागीय पत्र दिनांक 3 जून 2016.
संदर्भः– जिला कलक्टर जालौर का मुख्य सचिव महोदय राजस्थान सरकार को सम्बोधित पत्र दिनांक 26.05.2016

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि दिनांक 01.04.2016 से राज्य में ग्रामीण क्षेत्र के आवासहीन परिवारों को आवास निर्माण हेतु प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण प्रारम्भ की गई है। इस योजना के प्रावधानों का विवरण प्रासंगिक पत्र द्वारा आपको प्रेषित किया गया है, जिसके अनुसार योजना के अन्तर्गत पात्रता का निर्धारित SECC-2011 के आकडों के आधार पर किया जाना है। जिसके आधार पर तैयार सूची का अनुमोदन ग्राम सभा में होने के उपरान्त अपील का प्रावधान है, जिसका निस्तारण जिला स्तर पर जिला कलक्टर की अध्यक्षता में गठित अपील कमेटी के माध्यम से किया जाना है। जिला अपील कमेटी द्वारा पूर्व में प्रेषित 14 Exclusion Criteria के आधार पर निर्णय लिया जाना है।

इन 14 Exclusion Criteria में क्रम संख्या 11 से 13 में अपीलार्थी की खेती की जमीन के सम्बंध में सत्यापन किया जाना है। उक्त के मद्देनजर जिला अपील कमेटी के सहयोग हेतु ब्लॉक स्तर पर उपखण्ड अधिकारी की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई है, जिसके द्वारा समस्त 14 Criteria का सत्यापन यथोचित ग्राम सेवक व पटवारी से कराये जाने का प्रावधान है।

विभिन्न माध्यमों यथा समाचार पत्रों एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारियों एवं ज्ञापन से शासन के ध्यान में लाया गया है कि पटवार संघ द्वारा खेती की जमीन सम्बंधी सत्यापन से इनकार किया जा रहा है। इसी की निरन्तरता में माननीय मुख्य सचिव महोदय राजस्थान सरकार को सम्बोधित पत्र द्वारा जिला कलक्टर जालौर, जिसके साथ पटवार संघ जालौर का ज्ञापन भी प्राप्त हुआ है। जिसमें उनके द्वारा न्याय आपके द्वार अभियान आदि कार्यो के चलते प्राप्त अपीलों का सत्यापन नही करने व भूमि सम्बंधी जानकारी पृथक से उपलब्ध कराने बाबत लिखा है।

उक्त के क्रम में निर्देश है कि आवास योजना के Exclusion Criteria के बिन्दु संख्या 11, 12 व 13 का निर्धारण पटवारी की रिपोर्ट से ही सम्भव है। अतः राजकीय अन्य अभियानों व कार्यो के साथ–साथ ग्राम सभा के निर्णय के विरूद्ध प्राप्त अपीलों का सत्यापन कराकर निर्धारित दिनांक 7 जून, 2016 को प्रधानमंत्री आवास योजना की अन्तिम सूची को प्रकाशित कराया जावे एंव प्रपत्र "ब" में प्राप्त प्रार्थना पत्र जो SECC-2011 की सूची से वंचित परिवारों की अपील से सम्बन्धित है, के निस्तारण जिले के उपलब्ध कार्मिकों के कार्यभार/संसाधनों के अनुसार माह के अंत तक कर लिया जावें।

5/6/16
(राजीव सिंह ठाकुर)
शासन सचिव, ग्रावि

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ :–

1. **वरिष्ठ शासन उप सचिव**, मुख्य सचिव, राजस्थान।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रावि एवं पंरावि।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रावि।
4. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त राजस्थान।

अधीक्षण अभियन्ता (ग्रावि)

Prioritisation of Eligible Beneficiaries

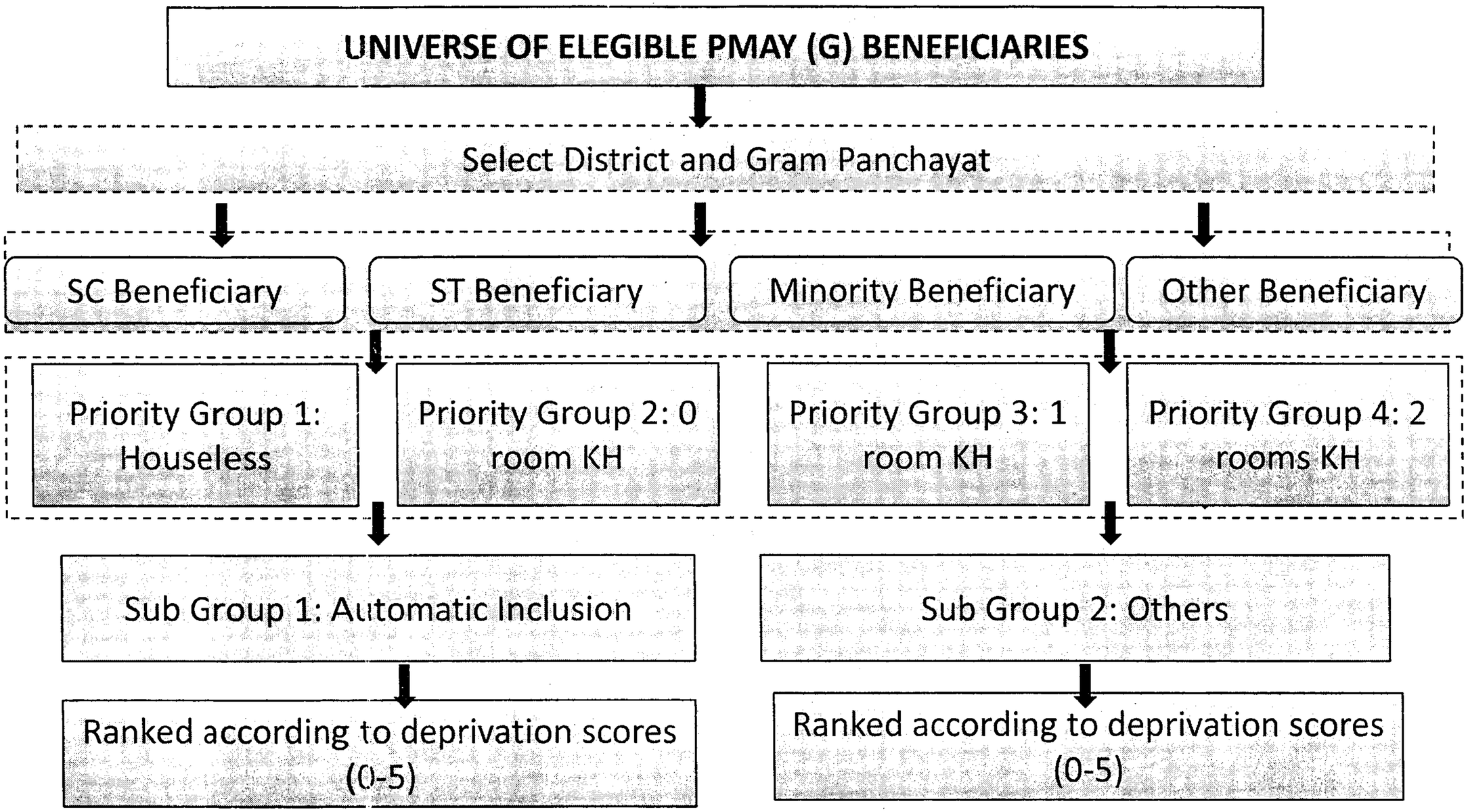

Automatic Exclusion Criteria

1. Motorised two/three/four wheeler/ fishing boat
2. Mechanised three/ four wheeler agricultural equipment
3. Kisan Credit Card with credit limit of Rs.50,000 or above
4. Household with any member as a Government employee
5. Households with non-agricultural enterprises registered with the Government
6. Any member of the family earning more than Rs.10,000 per month
7. Paying income tax
8. Paying professional tax
9. Own a refrigerator
10. Own landline phone
11. Own 2.5 acres or more of irrigated land with at least one irrigation equipment
12. 5 acres or more of irrigated land for two or more crop seasons
13. Owning at least 7.5 acres of land or more with at least one irrigation equipment